संख्या–239/26–ब0प्र0–2013–100(21)/2012

प्रेषक,

हरिश्चन्द्र,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज,
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण बजट प्रकोष्ठ लखनऊः: दिनांकः: 31 मार्च, 2013

विषयः–डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2012–13 में चयनित ग्रामों में सी0सी0रोड एवं के0सी0ड्रेन के निर्माण हेतु धनराशि के आवंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, पंचायती राज के पत्र संख्या–5/480/2012–5/8/2013, दिनांक 22 मार्च, 2013 के क्रम में समग्र ग्राम विकास विभाग के शासनादेश संख्या–447/66–2012–05/2012, दिनांक 17.05.2012 एवं डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत आंतरिक गलियों एवं नालियों के निर्माण के संबंध में पंचायती राज अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–1266/33–2–2012–4 आर0डी0/12, दिनांक 13 जून,2012 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या–83 के अन्तर्गत वर्ष 2012–13 में उक्त योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 5000.00लाख (रू0 पचास करोड मात्र) में से रू0 2580.00 लाख की धनराशि शासनादेश संख्या–42/26–ब0प्र0–2013–100(21)/2012, दिनांक 28 जनवरी, 2013 द्वारा निर्गत किया जा चुका है। अवशेष धनराशि रू0 2480 लाख (रू0 चौबीस करोड़ अस्सी लाख मात्र) में से रू0 1465.117 लाख (रू0 चौदह करोड़ पैसठ लाख ग्यारह हजार सात सौ मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धो के अधीन, जनपदवार संलग्न फॉट के अनुसार, श्री राज्यपाल महोदय व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(1)उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग स्वीकृत प्रयोजन के लिए ही किया जायेगा।इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

(2)निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का आहरण वर्ष 2012–13 की अवधि में कार्यदायी विभागों द्वारा कार्य पर वास्तविक रुप से व्यय/उपभोग की आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा तथा व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–1515/ दस– 2012– 231/2012, दिनांक 09.07.2012 एवं डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास विभाग द्वारा इस संबंध में जारी किये गये अन्य समस्त आदेशों में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3)उपरोक्तानुसार अवमुक्त धनराशि संबंधित जिलाधिकारियों को आवंटित की जायेगी, जो इसे आवश्यकतानुसार राजकोष से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायेंगे। संबंधित कार्यदायी संस्था इस धनराशि को डिपाजिट खाते में जमा कर उसका डी.सी.एल. पद्धति से व्यय करेंगे। अधिष्ठान व्यय की धनराशि को परियोजना पर डेबिट करके लोक निर्माण विभाग द्वारा लेखा शीर्ष "1054–सड़क तथा सेतु–800–अन्य प्राप्तियॉ–01– प्रतिशत्ता प्रभारों की वसूली एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग के प्राप्ति लेखा शीर्षक" 0515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–800–अन्य प्राप्तियॉ–02–प्रतिशत्ता प्रभारों की वसूली " में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट किया जायेगा।

(4)उपरोक्त के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है। जिन मामलो में उ0प्र0

2

बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहो तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलो में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(5)उक्त मदों में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में अनुदान संख्या–83 के "लेखाशीर्षक 4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय– आयोजनागत–789–अनुसूचित जातियों के विशेष घटक योजना–05– समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत सी0सी0रोड एवं के0सी0ड्रेन तथा इण्टर लाकिंग की व्यवस्था–35 –पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान' " के नामें डाला जायेगा।

(6) स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का व्यय भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 के लिए निर्धारित मानक तथा दिशा निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

(7)सी0सी0 रोड एवं के0सी0ड्रेन के निर्माण के संबंध में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशानुसार ही प्रश्नगत धनराशि का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

(8)शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या–सीए–934/दस–2008–मित–1/2007, दिनांक 2–9–2008 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

(9)निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूपपत्र बी0एम0–13 पर लेखाशीर्षक/मदवार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशो द्वारा विनियमित होगी।

(10)स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण दो किश्तों में किया जायेगा। प्रथम किश्त का 75 प्रतिशत् व्यय होने के पश्चात अगली दूसरी किश्त आहरित की जायेगी।

2– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या–ई–3–969/दस–13, दिनांक 31 मार्च, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक :–यथोक्त

भवदीय,

(हरिश्चन्द्र)
अनु सचिव

संख्या 239(1)/26–ब0प्र0–2013–तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0 इलाहाबाद।
2– प्रमुख सचिव पंचायती राज विभाग/लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग उ0प्र0 शासन।
3– निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, उ0प्र0, लखनऊ।
3– जिलाधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी/कोषाधिकारी संबंधित जनपद, उत्तर प्रदेश।
4– कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ/कलेक्ट्रेट लखनऊ।
5– मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत/मुख्य विकास अधिकारी, संबंधित जनपद, उत्तर प्रदेश।
6– अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत लखनऊ।
7– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3
8– वित्त (आय व्ययक) अनुभाग–1/2
9– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरिश्चन्द्र)
अनु सचिव।